न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्या– 35/2010/TI

1. ओमप्रकाश पुत्र बालूराम जाति बलाई निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

–प्रार्थी

बनाम

1. पन्नाराम पुत्र बालूरा जाति बलाई निवासी ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. उप–पंजीयक, दांतारामगढ जिला सीकर
3. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. पटवारी, पटवार हल्का खाटूश्यामजी जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–

1. शिवपाल सिंह वकील प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिंनाक :– 04.09.2019

1. आवेदन का संक्षिप्त सार एवं प्रार्थी का कथन इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 730 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 341 रकबा 0.94 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है उक्त भूमियों में आवेदक व अनावेदक संख्या एक के पिता स्वर्गीय बालूराम की विरासत का नामांतरण संख्या 698 दिनांक 15.12.1970 को गलत रूप से अकेले अनावेदक संख्या एक के नाम ग्राम पंचायत खाटूश्यामजी द्वारा तस्दीक किया गया जो प्रभावहीन अवैध व शून्य है क्योंकि वारिसान की जांच नहीं की गई, वादग्रस्त भूमि के मौके की जांच नहीं की गई। स्वर्गीय बालू पुत्र दुला की मृत्यु के समय वादग्रस्त भूमि पर आवेदक एवं अनावेदक संख्या एक काबिज चले आ रहे है। उक्त नामांतरण तस्दीक करते समय विधि एवं नियमों की पालना नहीं की गई अतः नामांतरण सर्वथा अवैध प्रभावहीन है। विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अकेले

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अनावेदक का नाम दर्ज हो जाने के कारण वर्तमान में उसके मन में बेईमानी आ गई है तथा वर्तमान में वादग्रस्त भूमि को भूमाफियाओं को हस्तांतरित करके उनकी मदद से वादी को बेदख्खल करने की कुचेष्ठाओं में लगा हुआ है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें प्रतिबंधित फरमाया जावे कि विवादित भूमियों को किसी भी रूप में हस्तांतरित करने, प्रभारित करने, आदि सें बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर अनावेदकगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा आवेदन पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए पर सुनी गई बहस एकपक्षीय पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी होने के कारण प्रार्थी के हक हित निहित को देखते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि दौराने वाद तक आवेदन में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 341 रकबा 0.94 हैक्टर ग्राम खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned by CamScanner